राज्य द्वारा एडीपीओ अनु०। आरोपी शत्रुधन अनुपस्थित। प्रकरण आज तामील कुरिंदा के कथन

हेतु नियत है।

आज दिनांक को तामील कुरिंदा प्र0आरक्षक प्रहलाद शर्मी उपस्थित। उक्त साक्षी के तामील कुरिंदा कथन अंकित किए गए।

प्र0आरक्षक प्रहलाद शर्मा द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी शत्रुधन के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। आरोपी की कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। अतः आरोपी को फरार घोषित किया जावे

यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी दिनांक 05.11.15 से अनुपस्थित है। आरोपी को लगातार गिरफतारी वारण्ट जारी किए जा रहे हैं परन्तु आरोपी पर वारण्ट की तामील नहीं हो पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी वारण्ट से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है। आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। आरोपी की कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। अतः आरोपी को फरार घोषित किया जाता है।

आरोपी शत्रुधन के विरुद्ध स्थायी गिरफतारी वारण्ट जारी किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे.एम.एफ.सी., गोहद